न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 10/2014

अपीलांटस

1. असकर खॉ वल्द केसु खॉ जाति मुसलमान तेली
2. मांगू खॉ वल्द केसु खॉ जाति मुसलमान तेली
3. सफी मोहम्मद वल्द केसु खां जाति मुसलमान तेली
4. हाजरो बेवा केसु खॉ जाति मुसलमान तेली
5. मृतक धमू खॉ के कायम मुकाम

5/1 फकीर खॉ वल्द धमू खॉ जाति मुसलमान तेली

5/2 ईशाक खॉ वल्द धमु खॉ जाति मुसलमान तेली

6. अकबर खा। वल्द हुसैन खॉ जाति मुसलमान तेली
7. सुभान खॉ वल्द हुसैन खॉ जाति मुसलमान तेली
8. गुलु खॉ वल्द हुसैन खॉ जाति मुसलमान तेली
9. सलीम् खॉ वल्द हुसैन खॉ जाति मुसलमान तेली
10. खमीसा वल्द बागे खॉ (बाघे) जाति मुसलमान तेली
11. जुसफ वल्द जमाल उर्फ जलाल खॉ जाति मुसलमान तेली
12. बच्चू खॉ वल्द राणा खां जाति मुसलमान तेली
13. अब्दुल खॉ वल्द अलारक खॉ जाति मुसलमान तेली
14. आसीन खॉ वल्द शुमार खॉ जाति मुसलमान तेली
15. शेरू खॉ पुत्र शुमार खॉ जाति मुसलमान तेली
16. रसूल ख़ॉ वल्द शुमार खॉ जाति मुसलमान तेली

बनाम

रेस्पोडेटस

1. गफूर खॉ वल्द खुदाबक्स जाति मुसलमान तेली
2. जलाल खां वल्द खुदाबक्स जाति मुसलमान तेली
3. मोहम्मद वल्द खुदाबक्स के कायम मुकाम

3/1 सदीक खॉ वल्द मोहम्मद जाति मुसलमान तेली

3/2 रफीक खॉ वल्द मोहम्मद जाति मुसलमान तेली

3/3 सफी खां वल्द मोहम्मद जाति मुसलमान तेली

4. बाबू खॉ वल्द मिसरू खॉ जाति मुसलमान तेली
5. असगर खॉ वल्द मिसरू खॉ जाति मुसलमान तेली
6. गनी खॉ वल्द वली खॉ जाति मुसलमान तेली
7. हाजी खॉ वल्द वली खॉ जाति मुसलमान तेली
8. सबीर खां वल्द वली खॉ जाति मुसलमान तेली
9. शकूर खॉ वल्द वली खॉ जाति मुसलमान तेली
10. तहसीलदार बायतु

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

17. तयब खॉ वल्द शुमार खॉ
    जाति मुसलमान तेली
18. गजरी बेवा शुमार खॉ जाति
    मुसलमान तेली
19. बरगत खॉ वल्द आरब खॉ
    जाति मुसलमान तेली
20. शुभान खॉ वल्द आरब खॉ
    जाति मुसलमान तेली
21. मजीद खॉ वल्द आरब खॉ
    जाति मुसलमान तेली
22. नसीर खॉ वल्द आरब खॉ
    जाति मुसलमान तेली
23. गैरो बेवा आरब खॉ जाति
    मुसलमान तेली
    सभी निवासियान जोगासर
    बायतु भोपजी तहसील बायतु
    जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 10.03.2005 द्वारा तहसीलदार बायतु

उपस्थित– 1. अपीलांटस की ओर से श्री बांकाराम चौधरी उपस्थित।
2. रेस्पोंडेंटस संख्या 1, 2, 3/2 से 09 की ओर से श्री रिणछाराम चौधरी उपस्थित। रेस्पोडेंटस संख्या 3/1 एकतरफा।
3. रेस्पोडेंटस संख्या 10 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

न्यायालय अपर कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश

दिनांक 05.10.2016

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 09 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 629 रकबा 12 विस्वा किस्म गैरमुमकीन ढाणी, खसरा नंबर 630 रकबा 01 बीघा 11 विस्वा किस्म गैर मुमकिन टांका, खसरा नंबर 631 रकबा 10 विस्वा गैरमुमकीन ढाणी एवं खसरा नंबर 632 रकबा 415 बीघा 02 विस्वा किस्म बा.सो. कुल रकबा 417 बीघा 15 विस्वा मौजा जोगासर तथा खसरा नंबर 695 रकबा 5 विस्वा किस्म गै.मु. ढाणी, खसरा नंबर 696 रकबा 114 बीघा 03 विस्वा किस्म बा.दो., खसरा नंबर 708 रकबा 60 बीघा किस्म बा.

अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

दो., खसरा नंबर 485/408 रकबा 6 विस्वा किस्म गै.मु. टांका मौजा आहोणियो बेनीवालो की ढाणी कुल रकबा 174 बीघा 14 बिस्वा तहसील बायतु में आई है। उक्त भूमि पर अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस का संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त है तथा पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर काश्त करते आ रहे है तथा अपनी–अपनी आवासीय ढाणियॉ बनाई हुई है। रेस्पोडेंटस सं. 01 से 09 ने अपीलांटस के गरीब एवं अनपढ़ होने का नाजायज फायदा उठाकर एवं अपीलांटस को धोखे में रखकर, अपीलांटस के विधिक हिस्से की उपजाउ भूमि को हड़पने की नियत से मौजा आहोणियो बेनीवालो की ढाणी एवं मौजा जोगासर में अवस्थित संयुक्त खातेदारी भूमियों का बंटवाड़ा बिना अपीलांटस की सहमति एवं जानकारी के तहसीलदार बायतु से अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2005 पारित करवाया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

3. रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 09 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब एवं विभिन्न कानूनी दृष्टांत पेश कर जाहिर किया कि मौजा आहोणियो बेनिवालों की ढाणी में न तो अपीलांटस की सहखातेदारी भूमि थी एव न ही उनके हिस्से में कोई भूमि आई है। अपीलांटस मौजा जोगासर की भूमि में सहखातेदार होने के फलस्वरूप ग्राम जोगासर की भूमि का विभाजन सहखातेदारो की आम सहमति से करवाया गया। उक्त विभाजन पक्षकारान के भौतिक कब्जे अनुसार ही करवाया गया, जो सही एवं विधिक है। अपील अत्यधिक विलम्ब से पेश किये जाने का कोई सन्तोषजनक कारण नहीं बताये जाने से अपील प्राथमिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य होना दर्शाया।

4. हमने उभयं पक्षो की बहस सुनी। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलांटस की स्थाई रहवासी ढाणियों व स्थाई पानी के टांके, पशुओं एवं चारे के बाड़ो को अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव के जरिये रेस्पोडेंटस के हक में रख दिये गये, जिससे अपीलांटस के विधिक हक एवं हित इत्यादि

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

प्रभावित हो रहे है। विभाजन प्रस्ताव में वसुखॉ के हस्ताक्षर किये हुए है, जबकि वह उक्त तिथि को बायतु में नहीं होकर विदेश में था, जिसकी पुष्टि उसके पासपोर्ट से होती है। बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस एवं कब्जे काश्त अनुसार नहीं किया गया। अपीलांट संख्या 15, 16 व 17 नाबालिग थे, जिनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं लिया गया। सर्वप्रथम अपीलान्टस को उक्त विभाजन आदेश का वास्तविक ज्ञान दिनांक् 30.9.2014 को हुआ एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। अपीलांटस की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश प्रदान करावें।

5. इसके जवाब में रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 09 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क हैं कि ग्राम जोगासर की विभाजित आराजी खसरा नंबर 803/632 में से 05 बीघा भूमि समर्पित होकर सरकार के खाते में दर्ज हो गई है तथा इसी खसरे के शेष रकबे का बेचान हो जाने के फलस्वरूप क्रेतागण को भी अपील में पक्षकार बनाया जाना चाहिये था, परन्तु अपीलांटस के वकील द्वारा क्रेतागण कों पक्षकार नहीं बनाया गया है। खसरा नंबर 787/632 रकबा 206.14 बीघा के सहखातेदारान द्वारा 2010 में पुनः सहमति से बंटवाड़ा करवा लिये जाने से अपील करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील् में विलम्ब के जो कारण बताये गये है वे मान्य नही होने एवं अपील म्याद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है।

6. हमने अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार बायतु द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 10.03.2005 के विरूद्व पेश की है। अपीलांटस व रेस्पोडेंटस की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 629 रकबा 12 विस्वा किस्म गैरमुमकीन ढाणी, खसरा नंबर 630 रकबा 01 बीघा 11 विस्वा किस्म गैर मुमकिन टांका, खसरा नंबर 631 रकबा 10 विस्वा गैरमुमकीन ढाणी एवं खसरा नंबर 632 रकबा 415 बीघा 02 विस्वा किस्म बा.सो. कुल रकबा 417 बीघा 15 विस्वा मौजा जोगासर तथा खसरा नंबर 695 रकबा 5 विस्वा किस्म गै.मु. ढाणी, खसरा नंबर 696 रकबा 114 बीघा 03 विस्वा किस्म बा.दो., खसरा नंबर 708 रकबा 60 बीघा किस्म बा.दो., खसरा नंबर 485/408 रकबा 6 विस्वा किस्म गै.मु. टांका मौजा आहोणियो बेनीवालो की ढाणी कुल रकबा 174 बीघा 14 बिस्वा तहसील बायतु में आई है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार बायतु के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त बाई मिटस एवं बाउण्डस के अनुसार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांटस नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2005 को अपास्त किया जाता है और तहसीलदार बायतु को निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार खातेदारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना करते हुए पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।

(ओ.पी.बिश्नाई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 05.10.2016 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)